

नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ तथा राज्य आपदा मोचन बल मुख्यालय

सेक्टर - 19 नया रायपुर, छत्तीसगढ़

क्रमांक/426/262/फायर सर्विस/एन.ओ.सी./2023 नया रायपुर, दिनांक - 22/06/2023

अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि दावड़ा इंटरनेशनल स्कूल रायपुर का इस विभाग के अधिकारी वरिष्ठ तकनीकी अग्निशमन अधिकारी एवं डी.एस.पी. फायर द्वारा दिनांक 22.06.2023 को राष्ट्रीय भवन संहिता भाग-IV के अनुसार अग्नि निवारण एवं अग्नि से बचाव संबंधित उपकरण एवं प्रणाली का निरीक्षण किया गया। अतः निम्न शर्तों के अधीन 12 माह की अवधि के लिए अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।

शर्तें

- 1- 10,000 लीटर पानी की क्षमता का टैंक, टैरेस पंप के साथ जिसकी पानी फेंकने की क्षमता 450 लीटर प्रति मिनट हो जो $0.35/\text{mm}^2$ के दबाव पर कार्य करता हो स्थापित किया जावे।
- 2- होजरील 30 मीटर की नोजल के साथ स्थापित किया जावे।
- 3- सभी अग्नि सुरक्षा से संबंधित उपकरण/प्रणाली, निकास द्वार व्यवधान रहित एवं हमेशा अच्छी हालात में रखा जावे, इसमें किसी प्रकार की चूक के लिए प्रबंधन जवाबदार होगा।
- 4- अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र जारी होने के पश्चात् भवन में विस्तार एवं अन्य कार्य किया जाता है, तो इस प्रमाण-पत्र को निरस्त माना जावेगा।
- 5- अग्निशमन प्रणाली/उपकरणों को प्रचलित करने के संबंध में सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाये एवं नियमित रूप से आपदा की स्थिति में बाहर निकलने का मॉक ड्रिल कर इसका रिकार्ड बनाकर रखा जाए।
- 6- बेसमेंट का उपयोग करने में बिल्डिंग बाय लॉज का कड़ाई से पालन किया जावे।
- 7- मकान मालिक/कब्जाधारी प्रतिवर्ष अग्नि की रोकथाम और सुरक्षा की स्थिति के संबंध में एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करेंगे, जो पुनः निरीक्षण योग्य होंगे।
- 8- अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से दावड़ा इंटरनेशनल स्कूल रायपुर में स्थापित सभी अग्निशमन उपकरण हमेशा सुचारू रूप से चालू रखने की जिम्मेदारी पूर्णतः दावड़ा इंटरनेशनल स्कूल रायपुर की रहेगी, जिसके लिए नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ तथा राज्य आपदा मोचन बल मुख्यालय छत्तीसगढ़ की कोई भी जिम्मेदारी नहीं रहेगी।

जारी दिनांक - 22/06/2023

प्राधिकृत अधिकारी
नगर सेना, मुख्यालय, छत्तीसगढ़